श्रीधर सी0, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 21.09.2011 को 10.00 बजे पूर्वा0 प्रखण्ड कार्यालय, मझौलिया का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :–

(1) सामान्य परिचय :–

यह प्रखण्ड जिला मुख्यालय बेतिया से 10 कि0मी0 पूरब में अवस्थित है। इस प्रखण्ड के पूरब में सुगौली प्रखण्ड (पूर्वी चम्पारण), पश्चिम में जिला मुख्यालय बेतिया, उतर में सिकटा प्रखण्ड दक्षिण में नौतन प्रखण्ड एवं पहाड़पुर प्रखण्ड (पूर्वी चम्पारण) का क्षेत्र अवस्थित है।

इस प्रखण्ड कार्यालय के उत्तर में सटे मझौलिया रेलवे स्टेशन है, जहां से नरकटियागंज एवं मुजफफरपुर आने–जाने का मार्ग है। इस प्रखण्ड मुख्यालय से मुजफ्फरपुर जानेवाली मुख्य सड़क को जोड़ने वाली नानोसती तक पक्की सड़क है। प्रखण्ड कार्यालय मझौलिया राजस्व ग्राम में अवस्थित है। समुन्द्र तट से इसकी उंचाई 71.59 मीटर है।

(क) प्रखण्ड कार्यालय की स्थापना :–

इस प्रखण्ड की स्थापना 1962 में हुई है। पूर्व में यह कार्यालय किराये के भवन में चलता था। वर्ष 1979 से यह कार्यालय सरकारी भवन में कार्यरत है।

(ख) कार्यालय :–

कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार वर्ष 2010 में द्वादश वित्त आयोग मद से कराया गया है। वर्तमान भवन में कार्यालय हाल ही में लाया गया है।

(ग) प्रखण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल :–

मझौलिया प्रखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 72664.22 एकड़ है। यह प्रखण्ड 29418.71 हेक्टेयर एवं 294.187 वर्ग किलोमीटर में फैला है।

(घ) प्रखण्ड की जनसंख्या :–

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस प्रखण्ड की कुल जनसंख्या 3,28,926 है।

(ड़) भू उपयोगी विवरणी :–

मझौलिया प्रखण्ड अन्तर्गत भू–उपयोगी की विवरणी निम्न प्रकार है:–
कुल कृषि योग्य भूमि 59400.95 एकड़
और गैर कृषि योग्य भूमि 2795.00 एकड़

(च) फसल चक्र की विवरणी :–

खरीफ	रब्बी	गर्मा
धान	गेहूं	–
धान	गन्ना	गन्ना
धान	तेलहन /दलहन	गर्मा मक्का
धान	तेलहन /दलहन	–

(छ) सामान्य वर्षा की विवरणी :–

2005	269.5 मि0 मि0
2006	1400.2 मि0 मि0
2007	1722.7 मि0 मि0
2008	493.00 मि0 मि0
2009	902.02 मि0 मि0
2010	202.00 मि0 मि0
2011	337.00 मि0 मि0

(2.) पूर्व निरीक्षण :–

क्र	पदाधिकारी का नाम	निरीक्षण की तिथि	टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की स्थिति
1	2	3	4	5
1	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।	07.07.1998	19.08.1998	
2	अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया	11.03.1997	29.07.1997	01.08.1997
3	वरीय प्रभारी पदा0, बेतिया	26.11.2010	27.11.2010	
4	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।	10.01.2011	13.01.2011	

(क) पूर्व निरीक्षण का अनुपालन :–

पूर्व निरीक्षण में तत्कालीन जिला पदाधिकारी डा0 बी0 राजेन्दर द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से अब तक प्रेषित नहीं किया गया है। आज के निरीक्षण के दौरान कंडिकावार अनुपालन की तैयारी भी नहीं की गयी है। अनुपालन प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया है। श्री राजेश कुमार यादव, दिनांक 04.04.2010 से प्रखंड नाजीर के प्रभार में हैं। पूर्व निरीक्षण के समय ये ही नाजीर के प्रभार में थे। कंडिकावार सुस्पष्ट निदेश निरीक्षण के समय में दिया गया था। पूर्व निरीक्षण दिनांक 10.01.2011 को हुआ तत्संबंधी निरीक्षण टिप्पणी जिला गोपनीय शाखा के ज्ञापांक 112/गो0, दिनांक 15.01.2011 से निर्गत किया गया। 8 माह बीत जाने के बावजूद न तो कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया गया न तो निरीक्षण के संबंध में संतोषप्रद जवाब दिया गया है। इसे कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता मानते हुए **श्री राजेश कुमार यादव, नाजीर, प्रखंड कार्यालय, मझौलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता निलंबन आदेश निर्गत करते समय पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन, अन्य प्रमाणों के साथ विभागीय कार्यवाही हेतु आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।**

अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित नहीं करने के के कारण प्रधान सहायक **श्री चन्देश्वर पासवान को प्रखंड विकास पदाधिकारी कारणपृच्छा निर्गत करें।** उत्तर प्राप्त कर मंतव्य के साथ एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें।

कार्यालय पर नियंत्रण नहीं रखने एवं कार्यों का अनुश्रवण सही ढंग से नहीं करने के कारण **श्री संजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझौलिया से स्पष्टीकरण पूछा जाय कि कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं कार्य उदासीनता के आरोप में क्यों नहीं आपकी सेवा पैतृक विभाग को वापस करने हेतु प्रतिवेदित कर दिया जाय।**

(3.) प्रभार :-

संजय, कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर दिनांक 21.02.2011 से प्रभार में हैं। इनसे पूर्व पदस्थापित पदाधिकारियों का पदस्थापन अवधि निम्न प्रकार है :-

क0	पदाधिकारी का नाम	सेवा का नाम	कब से	कब तक
1	2	3	4	5
01	श्री संजीव कुमार	बि0 प्र0 से0	18.05.1998	18.05.2003
02	श्री राम शंकर	बि0 प्र0 से0	19.05.2003	31.03.2005
03	श्री राधा किशोर झा (प्रभार में)	बि0 प्र0 से0	01.04.2005	07.02.2006
04	श्री दिनेश कुमार	बि0 प्र0 से0	08.02.2006	04.10.2006
05	श्री कुमार रवि, (परीक्ष्यमान सहायक समाहर्ता)	भा0 प्र0 से0	05.10.2006	31.03.2007
06	श्री दिनेश कुमार	बि0 प्र0 से0	01.04.2007	01.03.2009
07	श्री संजीव जमुआर	बि0 प्र0 से0	02.03.2009	03.04.2010
08	श्रीमती रंजना		04.04.2010	20.02.2011
09	श्रीरामचन्द्र प्र0 यादव		21.02.2011	19.07.2011
10	श्री संजीव रंजन		20.07.2011	20.07.2011
11	श्री संजय कुमार		21.07.2011	

(4.) स्थापना :-

इस कार्यालय में कार्यरत पर्यवेक्षक/अभियंता/लिपिक/जनसेवक/अनुसेवक इत्यादि की विवरणी स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति के अनुसार निम्न प्रकार है:-

क0	पदनाम	शीर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	विकास	1	1	0
2.	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	विकास	1	1	0
3.	पशु प्रसार पर्यवेक्षक	विकास	1	0	1
4	सहकारिता प्रसार पर्यवेक्षक	विकास	1	1	0
5	समाज शिक्षा आयोजिता	विकास	1	0	1
6	कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक	विकास	1	0	1
7	कनीय अभियंता	विकास	1	0	1
8	प्रधान लिपिक	विकास	1	0	1
9	पत्राचार लिपिक	विकास	1	1	0
10	भंडारपाल	विकास	1	1	0
11	जनसेवक	विकास	10	5	5

12	ग्राम सेविका	विकास	2	0	2
13	चालक	विकास	1	0	1
14	जंजीर वाहक	विकास	1	1	0
15	आदेशपाल	विकास	2	1	1
16	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	पंचायत	1	1	0
17	पंचायत सेवक	पंचायत	29	18	11
18	प्रमुख के आदेशपाल	पंचायत	1	1	0
19	उर्दू अनुवादक	जिला प्रशासन	1	1	0
20	सहायक उर्दू अनुवादक	जिला प्रशासन	1	0	1
21	टंकक	जिला प्रशासन	1	1	0
22	लेखापाल	सा. सुरक्षा	1	1	0
23	वरीय लिपिक	कृषि	1	0	1
24	प्रधान लिपिक	कृषि	1	0	1
25	आशुलिपिक	कृषि	1	1	0
26	टंकक	कृषि	1	1	0
27	लिपिक	कृषि	1	1	0
28	भंडारपाल	कृषि	9	6	3
29	पदचर	कृषि	2	2	0

(क) सेवा पुस्त :-

सेवा पुस्त का अवलोकन किया। कोई भी सेवा पुस्त में समुचित प्रविष्टियां एवं पदाधिकारी से सत्यापित नहीं है। स्थानांतरित कर्मियों का सेवा पुस्त संबंधित कार्यालय में अद्यतन कर सेवा पुस्त को सील कर विशेष दूत के माध्यम से संबंधित कार्यालय को भेजने का निदेश दिया गया। **इसी प्रकार जिन** कर्मचारियों का पदस्थापना इस कार्यालय में हुआ है, उनके पूर्व कार्यालय से संपर्क कर **एक माह के अंदर** उनका सेवा पुस्त प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

श्री सिद्धनाथ राय, जनसेवक के सेवा पुस्त का अवलोकन किया। **31.12.2010 तक सेवा पुस्त** सत्यापित है। ए0सी0पी0 के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण जिला लेखा पदाधिकारी से कराया गया है। **दिनांक 1.7.10 तक वार्षिक वेतन वृद्धि दर्ज है। 1.7.11 से वेतन वृद्धि** निर्धारित कर तत्संबंधी प्रविष्टि कर नियमानुसार वेतन वृद्धि का भुगतान करने का निदेश दिया गया। दिनांक 30.04.2008 तक अवकाश लेखा दर्ज है।

(ख) एल0पी0सी0 का निर्गमन :-

स्थानांतरित कर्मियों का इस कार्यालय के द्वारा अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है। एल0पी0सी0 निर्गत करने के विरूद्ध प्रत्येक कर्मी के विरूद्ध अग्रिम उसके समायोजन की स्थिति,

योजना में यदि अग्रिम है मापी लंबित है, जमा करने योग्य मापी निर्धारित कर जमा करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(ग) कर्म पुस्तिका :—

कर्म पुस्तिका का अवलोकन किया। विहित प्रपत्र में संधारित है। माह के अंत में लंबित एवं निष्पादित पत्रों की तालिका तैयार किया गया है। अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले के अंतिम निष्पादन से संबंधित विवरणी पूर्ण रूप से अंकित नहीं है। इसे अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(5.) पत्राचार :—

पत्राचार हेतु कार्यालय में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी विधिवत् संधारित है। विगत वर्षों में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की तालिका निम्न प्रकार है :—

क्र0	वर्ष	कुल प्राप्ति	कुल निर्गत
1	2	3	4
01	2008	1561	2072
02	2009	963	1964
03	2010	592	2276
04	2011	776	1118

(6.) लंबित पत्रों की पंजी :—

प्राप्त एवं निर्गत लंबित पत्रों की पंजी विधिवत संधारित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी लंबित पत्रों की समीक्षा कर 15 दिनों के अंदर निष्पादन सुनिश्चित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(7) अनुक्रमणी पंजी :—

वितरण 12 के अनुसार अनुक्रमणी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। विषयवार खोली गयी संचिकाओं की प्रविष्टि अद्यतन रखें।

(8) आवंटन पंजी :—

इस प्रखण्ड में सभी शीर्षों का आवंटन पंजी विधिवत् संधारित है। पंजी में प्राप्त आवंटन एवं व्यय सम्बन्धी विवरणी अंकित किया गया है।

(9) सूचना का अधिकार :—

सूचना के अधिकार में प्राप्त आवेदनों का विहित प्रपत्र में पंजी संधारित है। प्रभारी लिपिक श्री खालिद अबुल कलाम के द्वारा बताया गया कि अधिकांश मामले अन्य लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित है जिसे स्थानांतरित किया जाता है। आवेदन पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि निष्पादन से संबंधित कॉलम एवं अभ्युक्ति कॉलम अंकित नहीं है। स्थानांतरित आवेदनों को लाल कलम से अंकित करें। **विहित प्रपत्र में संधारित कर 10 दिन के अंदर अनुपालन** प्रतिवेदन प्रेषित करें।

(10) जनशिकायत पंजी :–

पंचायत सेवकवार/जनसेवकवार समीक्षा कर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। 3 माह से अधिक समय तक आवेदन जिस स्तर पर लंबित है उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जनशिकायत पंजी का अवलोकन किया। इसमें मात्र प्राप्त आवेदन की विवरणी एवं किस कर्मी को उपलब्ध कराया गया है मात्र दर्ज है। निष्पादन की स्थिति की कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं है।

(11) प्रधान सहायक नोटबुक :–

प्रधान सहायक नोटबुक संधारित है। महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्रविष्टि कर अनुपालन ससमय सुनिश्चित करें।

(12) स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना :–

कुल गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या 505 है। कुल लक्ष्य 75 है। आवेदन 88 समूहों के लिए प्रापत है जिसमें 40 समूहों के बीच एक करोड़ रू0 बांटा गया है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के प्रभारी पदाधिकारी श्री विनय कुमार, प्रसार पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूह का सूचना एकत्रित कर वैसे समूह को चिन्हित करें जिनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। कार्यरत स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण हेतु कार्ययोजना बनायें।

(13) स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना (आधारभूत संरचना) :–

आधारभूत संरचना मद अंतर्गत निर्मित दो वर्कशेड एवं एक बिक्री सह प्रदर्शनी केन्द्र का निर्माण लंबित है। लंबित सभी योजनाओं का अद्यतन मापी कराकर फोटोग्राफी कराकर दो माह के अंदर पूर्ण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अद्यतन मापी के बाद और राशि की आवश्यकता हो तो मापी पुस्त और पूर्व मापी प्रतिवेदन भेजकर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से राशि की मांग करें।

(14) इन्दिरा आवास :–

इस वर्ष में कुल 3638 लक्ष्य है, जिसमें अ0जा0/अ0ज0जा0 का 2098 एवं सामान्य का 1540 है। जिसमें लाभान्वित निम्न प्रकार है। सा0 683, अ0जा0 210, अल्प संख्यक 176 एवं विकलांग 08 को इस वर्ष इंदिरा आवास का लाभ उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2011–12 का आवंटन प्राप्त है। ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(15) बी0 आर0 जी0 एफ0 :–

बी0आर0जी0एफ0 योजना अंतर्गत कोई योजनाएं लंबित नहीं प्रतिवेदित है। कैश बुक के प्रतिवेदन के अनुसार 1,24,500 रू0 अवशेष है। यह किस अवधि का है इसके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। **प्रखंड विकास पदाधिकारी 15 दिन के अंदर छानबीन कर यदि राशि भुगतेय है तो नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।**

प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझौलिया को पंचायत समिति के अंतर्गत बी0आर0जी0एफ0 योजना अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए वार्षिक कार्य योजना में मझौलिया थाना/प्रखंड परिसर में दो सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का निदेश दिया गया।

(16) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :–

समीक्षा के क्रम में सांसद योजना अंतर्गत कार्यान्वित योजना लंबित पायी गयी। वर्ष 2008–09 से योजना लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। योजना में निम्नांकित राशि पड़ी हुई है :–

क्र	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	प्राप्त राशि	व्यय की गयी राशि
1	2	3	4	5
1	परसा डुमरिया में सामुदायिक भवन	400000	360000	178000
2	चनायन बांध में सामुदायिक भवन	422000	360000	296000

दो माह के अंदर कार्य पूर्ण कराने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझौलिया को दिया गया। चनायन बांध में सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में बताया गया कि जमीन विवादित रहने के कारण कार्य अवरूद्ध है। समस्या का समाधान कर एक माह के अंदर कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(17) द्वादश वित्त आयेाग :–

पंचायत समिति द्वादश मद में वर्ष 2010–11 में 2 योजनायें ली गई हैं। दोनों योजनाएं अपूर्ण हैं। युद्धस्तर पर कार्य निष्पादन कर पूर्ण करायें।

(18) तेरहवां वित आयोग :–

वर्ष 2010–11 में 1 योजना ली गई है जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्ण योजना की तकनीकि जांच कराकर प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें।

(19) सामाजिक सुरक्षा योजना :–

(क) लक्ष्मीबाई योजना :– इस योजना अन्तर्गत 1806 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। एवं 1868 आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया को भेजा गया है। अनुमंडल कार्यालय से सम्पर्क कर स्वीकृति कराकर अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर उपलब्ध करायें।

(ख) इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना :– इस योजना अन्तर्गत 7273 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है एवं 315 आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया को भेजा गया है। अनुमंडल कार्यालय से सम्पर्क कर स्वीकृति कराकर अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर उपलब्ध करायें।

(ग) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशनः— इस योजना अन्तर्गत 760 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। एवं 1004 आवेदन पत्र स्वीकृत हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया को भेजा गया है। अनुमंडल कार्यालय से सम्पर्क कर स्वीकृति कराकर अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर उपलब्ध करायें।

(घ) निःशक्तता योजना राज्य :— इस योजना के तहत 589 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। एवं 618 आवेदन पत्र स्वीकृत हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया को भेजा गया है। अनुमंडल कार्यालय से सम्पर्क कर स्वीकृति कराकर अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर उपलब्ध करायें।

(ङ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता :— इस योजना अन्तर्गत 36 लाभार्थियों को पेंशन दी जारही है एवं 48 आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया को भेजा गया है। अनुमंडल कार्यालय से सम्पर्क कर स्वीकृति कराकर अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर उपलब्ध करायें।

(च) राज्य मामाजिक सुरक्षा पेंशन :— इस योजना अन्तर्गत 461 लाभाथियों को पूर्व में पेंशन दी जा रही है एवं 508 आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया को भेजा गया है। अनुमंडल कार्यालय से सम्पर्क कर स्वीकृति कराकर अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर उपलब्ध करायें।

(20) कबीर अन्त्येष्ठि योजना :—

कबीर अन्त्येष्टि योजना अंतर्गत वर्ष 2010—11 का आवंटन जो चेक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है उसे पंचायतों को स्थानांतरित किया गया है। 2 अक्टूबर, 2011 तक पूर्ण व्यय कर उपयोगिता उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। वर्ष 2011—12 के आवंटन की निकासी हेतु बिल कोषागार में भेजा गया है, बताया गया। राशि पंचायतों को स्थानांतरित कर एक माह के अंदर व्यय सुनिश्चित करें।

(21) पारिवारिक लाभ योजना :—

इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2010—2011 में 126 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। एवं 19 आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया को भेजा गया है ।

(22) छात्रवृति योजना :—

छात्रवृत्ति मद में वर्ष 2010—11 का अवशेष राशि 3 दिन के अंदर कोषागार में जमा करने का निदेश दिया गया। साथ ही वर्ष 2011—12 में प्राप्त आवंटन को शिविर के माध्यम से 10—12 अक्टूबर, 2011 को वितरित करने का निर्देश दिया गया।

(23) महादलित पोशाक योजना :—

इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2010—2011 में कुल 9,00000.00 रू0 आवंटन प्राप्त हुआ है जिसका वितरण किया जा चुका है।

(24) आपूर्ति :–

इस प्रखण्ड के अन्तर्गत कुल ज0वि0प्र0 विक्रेता की संख्या 136 है। कुल अंत्योदय परिवारों की संख्या 11975 है। कुल बी0 पी0 एल0 परिवारों की संख्या 42934 है। ए0पी0 एल0 परिवारों की संख्या 26537 है। **पंचायतवार राशन कूपन वितरण की विवरणी एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।**

(क) अन्नपूर्णा योजना :– इस योजना से संबंधित लाभार्थियों की संख्या इस प्रखण्ड में 415 है। प्रति लाभार्थी को 6 किग्रा गेहूं, 4 किग्रा चावल दिया जाता है। इस योजना में मासिक आवंटन 24–90 गेहूं 16–60 चावल है।

(ख) अंत्योदय एवं बी0 पी0एल0 योजना :– अंत्योदय मद में प्रत्येक माह 1676.50 गेहूं एवं 2514.75 चावल का आवंटन प्राप्त है। जिसका उठाव एवं वितरण जारी है।

बी0पी0एल0 योजना का 4293.40 गेहूं एवं 6440.10 चावल का उठाव प्रत्येक माह होता है, जिसका अठाव एवं वितरण जारी है।

किरासन तेल योजना अन्तर्गत 82788 परिवारों के बीच कुल आवंटन 227667 लीटर का उठाव एवं वितरण किया गया है।

(25) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :–

इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में मो0 9,30000 रू0 आवंटन प्राप्त हुआ है। जिससे 186 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वितरित राशि का उपयोगिता एक सप्ताह के अंदर जिला को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही वर्ष 2011–12 की आवंटन को एक माह में व्यय करने का निर्देश दिया गया।

(26.) नजारत :–

श्री राजेश कुमार यादव सहायक दिनांक 04.04.2010 से प्रखण्ड नाजीर के प्रभार में है। इसके पूर्व श्री शषिभूषण प्रसाद भण्डार पाल प्रखण्ड नाजीर के प्रभार में थे जो वर्तमान में अनुमंडल कृषि कार्यालय बेतिया में पदस्थापित हैं। सामान्य रोकड़ बही विधिवत् संधारित है। दिनांक 15.06.2011 तक सामान्य रोकड बही अद्यतन है। जिसके अनुसार मो0 8,33,58,032:71 रू0 मात्र है। जिसका विवरण मदवार निम्न प्रकार है। :–

(क) रोकड़ विवरणी:– (दिनांक 15.09.2011 तक)

क0	शीर्ष का नाम	राशि
01	2515 पंचायत वेतन	669327.58
02	2053 जिला प्रशासन	2660.00
03	2401 कृषि	22979.00
04	2235 सा0 सु0	398.24

05	2515 विकास	1,34734.30
06	3011 ग्रुप बीमा	नील
07	2225 कल्याण छात्रवृति	1607574.00
08	2051 पेंशन	36,989.00
09	बी0 आर0 जी0 एफ0	3,31564.00
10	2230 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	270000.00
11	इन्दिरा आवास (सामान्य)	41527259.00
12	2515 अन्य विकास कार्यक्रम	391274.00
13	जनगणना	279422.09
14	एकादश/द्वादश वित्त आयोग	3,59,566.28
15	विधायक कोष	124500.79
16	सांसद स्थानीय	341725.20
17	तेरहवां वित्त आयोग	7260.00
18	बायोगैस	5296.89
19	2202 शिक्षा	31274.00
20	स्वर्ण जयन्ती	426425.80
21	बिक्री कर कटौती	3232.00
22	निर्वाचन एम0 पी/एम0 एल0 ए0	152466.78
23	बुनियादी सेवा	1000.00
24	2015 पंचायत निर्वाचन	2536149.61
25	मातृत्व लाभ	90666.00
26	बिहार शिक्षा परियोजना	13477.00
27	जिला योजना	6716.05
28	राष्ट्रीय ग्राम्य नियोजन	2930.35
29	पल्स पोलियो	8937.53
30	सूद	50,86,937.26
31	6401 कृषि ऋण	34763.83
32	राष्ट्रीय पोषाहार	7001.00
33	2245 राहत	2,44,496.00
34	आंगन बाड़ी	17,500.00
35	बन्धुआ मजदूर	79342.00
36	श्रम नियोजन	23950.00
37	पैक्स निर्वाचन	372.51
38	दलपतियों का भत्ता	नील
	कुल :–	5,49,91,502.46

(पांच करोड़, उन्चास लाख, एकानवे हजार, पांच सौ, दो रूपये, छियालीस पैसे मात्र)

(ख.) नजारत से संबंधित दिशा–निर्देश :–

1. पूर्व निरीक्षण में कुल 54 मदों में राशि दर्शाया गया था इस बार मात्र 38 मदों में राशि दर्शाया गया है। 16 मद की राशि कहां गई, प्रखंड विकास पदाधिकारी छानबीन कर एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
2. सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत विभिन्न शीर्षो में राशि अवशेष है। अतः सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में जो पूर्व में चेक के माध्यम से राशि प्राप्त हुई है उसे चेक के माध्यम से सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को वापस कर दें।
3. विभिन्न प्रकार के रोजगार से संबंधित योजनाओं में राशि कई वर्षो से अवशेष चली आ रही है। अतः जितने प्रकार की रोजगार योजनाओं का अवशेष राशि है को चेक के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को वापस कर दें।
4. छात्रवृति मद में पूर्व निरीक्षण में 15 लाख रू0 दर्शाया गया था जबकि इस बार के निरीक्षण टिप्पणी में 16 लाख रू0 दर्शाया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी जांच कर एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
5. माधोपुर पैक्स के खाता संख्या 56 में 32608.40 रू0 दर्शाया गया है। वित्त विभाग, बिहार सरकार के निदेश के अनुसार सरकारी कार्यालयों के कोई भी राशि पैक्स के खाता में नहीं रखना है क्योंकि पैक्स **बैंक की परिभाषा में नहीं आता है। अतः मझौलिया प्रखंड कार्यालय में पैक्स में खाता संधारित करने** का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। शूद को अद्यतन कराकर एक पक्ष के अंदर खाता बंद करके खाता किसी दूसरे व्यावसायिक बैंक में स्थानांतरित करने का निदेश दिया गया।
6. पूर्व नाजीर द्वारा दी गई अन्तर राशि (–) 400.00 रू0 दर्शाया गया है। रोकड़ पंजी की जांच कर एक सप्ताह के अंदर अंतर राशि की वसूली कर समायोजना सुनिश्चित करें।
7. शीर्ष राहत 2245 में 2,44,496.00 रू0 दर्शाया गया है। किस वर्ष का आवंटन है, क्यों लंबित है, सत्यापन कर यदि राशि अवशेष पूर्व वर्षो का है तो कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया गया।

(ग) दिनांक 5.09.2011 तक का खाता शेष :–

क0	बैंक का नाम	खाता संख्या	राषि
01	ग्रामिण बैंक बैठनिया	2204	2791045.43
02	ग्रामिण बैंक बैठनिया	3257	238075.00
03	ग्रामिण बैंक बैठनिया	1567	9,77,326.00
04	ग्रामिण बैंक बैठनिया	3314	5,12756.52
05	ग्रामीण बैंक जौकटिया	8	35961.60
06	पैक्स माधोपूर	56	32608.40
07	पी0एन0 बी0 मझौलिया	112400	6,66,056:68

08	पी0एन0 बी0 मझौलिया	209	11589.49
09	पी0एन0 बी0मझौलिया तेरहवा वित	207285	9708.00
10	एस बी0 आई पारस पकडी	5001	325879.93
11	एस बी0 आई पारस पकडी	5009	909047.53
12	एस बी0 आई पारस पकडी	7906	39386700.75
13	एस बी0 आई ए0डी0बी0 बेतिया	13716	9424.01
14	एस बी0 आई ए0डी0बी0 बेतिया	97218 बी0आर0जी0एफ0	6,30,956:00
15	डाक घर मझौलिया	3701762	1630.40
16	कॉपरेटिव बैंक मझौलिया	12	1026.00

कुल :– 4,65,39,790.74
अभिश्रव :– 69,86,306.46
अग्रिम :– 14,17,158.00
नगद :– 48,247.26
कुल 5,49,91,502.46

(पांच करोड, उन्चास लाख, एकानवे हजार, पांच सौ दो रूपये, छियालीस पैसे मात्र)

(घ) पूर्व निरीक्षण में कुल 30 बैंक खाता दर्शाया गया था। इस निरीक्षण में **मात्र 16 बैंक खाता दर्शाया** गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी जांच कर एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(ड़) अभिश्रव :–

अभिश्रव में 69,86,306.46 रू0 दर्शाया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत पंचायत निर्वाचन के दौरान **उपलब्ध आवंटन से तत्काल यात्रा भत्ता मद में 8,74,725.00 रू0 का व्यय** हुआ है और कार्यालय व्यय मद में प्राप्त आवंटन से अधिक 27,27,184 रू0 **व्यय हुआ है। इस प्रकार** अभिश्रव में से 36,01909 रू0 पंचायत निर्वाचन से संबंधित बताया गया। उपलब्ध कराये गये **प्रतिवेदन** के आलोक में अन्य प्रकार के अभिश्रव 33,84,497.96 रू0 होगा। अविश्रव का **समायोजन हेतु पूर्व में** मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में उपलब्ध अभिश्रव को **विषयवार, वर्षवार, मदवार** वर्गीकरण कर 3 सदस्यीय जांच दल से जांच कराकर संबंधित विभागों से मांग करने का निदेश प्राप्त है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभिश्रव वर्षवार, मदवार वर्गीकरण कर आवंटन मांग करने की कार्रवाई नहीं की गयी है। एक माह के अंदर वर्गीकरण कराकर मांग संबंधित विभाग से करने हेतु जिला स्थापना शाखा/उप विकास आयुक्त को प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

(च) अग्रिम :–

अग्रिम पंजी का अवलोकन किया। अग्रिम में 14,16,758 रू0 दर्शाया गया है। प्रखंड कार्यालय, मझौलिया में योजना अग्रिम एवं सामान्य अग्रिम अलग–अलग संधारित नहीं है। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कतिपय मामलों में अग्रिम के प्रकार की विवरणी नहीं है। **कर्मचारीवार**

संधारित प्रपत्र में कॉलम 5 में वसूलनीय राशि अंकित है जबकि ये वसूल की गयी राशि अंकित होनी चाहिए।

प्रत्येक दिन अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित करें। यदि सुबह में अग्रिम दिया गया है तो शाम में उसका समायोजन सुनिश्चित करें।

अग्रिम लेने वाले की सूची वर्षवार, विषयवार, मदवार बनाकर एक माह के अंदर कम्प्यूटराइज्ड करायें। प्रत्येक अग्रिम धारकों को नोटिस निर्गत कर 15 दिन के अंदर राशि जमा करने का नोटिस निर्गत कर वसूली सुनिश्चित करें। समय सीमा के अंदर जो राशि जमा नहीं करता है उसकी सूची जिला को उपलब्ध करायें ताकि उसके वेतन से राशि की वसूली किया जा सके।

(27) निष्कर्ष :–

पूर्व निरीक्षण का अनुपालन असंतोषप्रद है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यालय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। निरीक्षण के क्रम में दिए गए निदेशों का अनुपालन कर एक माह में अनुपालन प्रषित करेंगे। उप विकास आयुक्त अनुपालन का अनुश्रवण करेंगे।

8/10/11

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1058/गो0, दिनांक 10/10/2011

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझौलिया को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मझौलिया/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बेतिया/जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता, बेतिया/प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, प0 चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/10/11

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1058/गो0, दिनांक 10/10/2011

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।